राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	307 / 2025	गिरीश कुमार लबाना	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, वन भवन जयपुर एवं अन्य	श्री प्रमेन्द्र बोहरा
2.	308 / 2025	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य	
3.	338 / 2025	रामचन्द्र राम	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य	

आदेश की दिनांक : 30.01.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित तीनों अपीलों में अपीलार्थीगण ने समान आधार पर अपीलों में आलोच्य आदेशों को चुनौती दी हैं। इसलिए समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 307 / 2025 गिरिश कुमार लबाना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के संबंध में अपील संख्या 28 / 2025 गिरिश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 21.01.2025 का अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी के संबंध में यह स्थगन आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात भी अपीलार्थी को पुनः कार्यग्रहण नहीं कराया जा रहा है और आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर में अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये हैं।
4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि इस अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में पारित स्थगन आदेश की पालना में

अपीलार्थीगण की उपस्थिति पूर्व के स्थान पर नहीं ली जा रही है और अन्य स्थान पर उपस्थिति दिए जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में तीनों अपीलों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थीगण को अपनी उपस्थिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर में देने के लिए पाबन्ध नहीं किया जावे, अपितु इस अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी को पूर्व के स्थान पर 2 सप्ताह की अवधि में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

6. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 307/2025 एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)